

C.No. 27/2023 मनीष/साल बायअपरसा.

अपनी पत्नी के साथ ही वकील यानी अनुपमिता  
वकील यानी के साथ 6:00 बजे तक अंजाम  
कर तीन बार आवक लगवा गई किन्तु वी अनु  
देख अतः यानी का प्रथमा ही सूचना  
अभिप्रेत किया 3 के तहत अंग 6(1) अंग  
के अंतर्गत खानिया किया जाता है पत्नी  
के अंतर्गत अनु होकर नमूने का ही पत्नी  
पान्त दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी  
अंराई (अजमेर)